रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 1973/आषाढ़ 19, 1895
No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 1973/ASADHA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th July, 1973

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April* 1973-*March* 1974. (*Amendment No.* 27)

No. 114-ITC (PN)/73.— Attention is invited to the import policy for Registered Exporters as contained in the Red Book (Vol. II) for the period April, 1973—March, 1974, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46—ITC(PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made in Part 'C', Section I of the Red Book (Vol. II) pertaining to eligible Export Houses :—

S. No.	Page Number of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1	22	Part 'C' Para 11(i)	The existing sub-para 11(i) may be substituted by the following:— "Eligible Export Houses may acquire by transfer the licences issued to Registered Exporters or their nominees under the import policy for Registered Exporters, provided that an Export House shall not be allowed to acquire by transfer during

1	2	3	4
			the licensing period licences for an aggregate value of more than 25% of the f.o.b. value of exports of the non-traditional items falling within the product group(s) mentioned in para 9 above, effected by the Export House during the year 1972-73. However, in order to encourage Export Houses to increase their export performance, the facility of acquiring licences by transfer may be increased to 33-1/3% on the additional export performance during 1972-73 as compared to 1971-72. A statement in the proforma annexed to this Public Notice, and certified by an authorised dealer in foreign exchange or a Chartered Accountant, indicating the f.o.b. value of exports during 1972-73 as admissible for this purpose, should be furnished to the licensing authority with which the Export House is registered under sub-para (ii) below. The Export Houses claiming the benefit of additional export performance should also furnish a similar statement in respect of their exports during 1971-72."
23	Part 'C' Para 12	After the existing sub-para (iii), the following new sub-para may be added :— "(iv) If an Eligible Export House claims an import replenishment licence in its own name against its own exports pertaining to a product outside the product group(s) for which the Export House has been granted Eligibility Certificate, it can ask for only those items which are indicated in Col. 4 against the product exported. If the product exported has no item in Col. 4, the Export House may be allowed import items appearing in a valid and unexpired A.U. licence of its supporting manufacturer issued for the same end-product as the exported product. The restrictions/conditions indicated in Col. 5 of Section II in respect of any import items will also be applicable while allowing such items to Export Houses."	

ANNEXURE

Statement of Exports made during 1972-73 of products listed in Paragraph 9 of Part 'C', Section I of the Red Book (Vol. II) for 1973-74

Name of Export House :—

Product Group	Description of item	S. No. of the item as per Col. 2 of Section II of Vol. II of Red Book	Name and address of the manufacturer	Relationship with the manufacturing Co. mentioned in Col. 4 i.e. whether they are your branches, associate companies etc. or separate legal entities.	Country to which exported	F.O.B. value of exports
1	2	3	4	5	6	7

I/We hereby declare that the particulars and statements made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed. We understand that any information if found to be incorrect, will render us liable to rejection of our claim, without prejudice to any other action that may be taken against us in this behalf.

2. The exports included in this statement are only direct exports and no indirect exports have been included.

3. The goods exported have not been returned by the consignee abroad.

Signature ....
Name (in Block Letters) ....
Designation ....
Address ....

CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT/AUTHORISED DEALER IN FOREIGN EXCHANGE

We..(name and address of the Chartered Accountant/authorised dealer in foreign exchange) hereby certify that we have checked and verified the above particulars of exports from the Books/Documents of M/s. ....and found the name to be correct.

Signature of the Chartered Accountant/
Authorised dealer in foreign exchange.............
Official Stamp ....
Full Address ....
Registration No. (in the case of Chartered Accountant). ....

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controleir of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1973

विषय: अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 27)

संख्या : 114–आई० टी० सी० (पीएन)/73.— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46–आई० टी० सी० (पीएन)/73, दिनांक 2–4–73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन पात्र निर्यात सदनों से सम्बन्धित रैड बुक (वा० 2) के खंड 1 भाग 'सी' में किए जाए :—

क्रम संख्या	रैड बुक (वा० 2) की पृष्ट संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	22	भाग "सी"	वर्तमान उप-पारा 11(1) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—
		पारा (11)(1)	"पात्र निर्यात सदन पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों या उनके नामजदों को जारी किए गए लाइसेंसों को हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त कर सकते है, बशर्ते कि एक निर्यात सदन को 1972–73 वर्ष के दौरान निर्यात सदन द्वारा प्रभावित उपर्युक्त पारा (9) में उल्लिखित उत्पाद वर्ग (वर्गों) के भीतर आने वाली गैर परम्परागत मदों के निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक के कुल मूल्य के लिए लाइसेंस अवधि के दौरान स्थानान्तरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन, निर्यात सदनों को उनके निर्यात निष्पादन में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार से स्थानान्तरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा 1971–72 वर्ष की तुलना में 1972–73 के दौरान अतिरिक्त निर्यात निष्पादन पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक की वृद्धि दी जा सकती है। इस सार्वजनिक

1	2	3	4
			सूचना में अनुबन्धित और विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी या सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित प्रपत्र में एक विवरण उस लाइसेंस प्राधिकारी को भेजना चाहिए जिसके पास निर्यात सदन नीचे के पारा (2) के अन्तर्गत पंजीकृत है और उसमें इस उद्देश्य के लिए यथा अनुमेय 1972–73 के दौरान के निर्यातों के जहाज पर नि:शुल्क मूल्य का भी संकेत करना चाहिए ।"
2	23	भाग "सी" पारा 12	वर्तमान उप-पारा (3) के बाद निम्नलिखित नया उप-पारा को जोड़ा जाए:— "(4) यदि एक पात्र निर्यात सदन उस उत्पाद वर्ग (वर्गो) से बाहर के उत्पाद के सम्बन्ध में अपने खुद निर्यातों के मद्दे अपने खुद के नाम में एक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस का दावा करता है जिसके लिए निर्यात सदन को पात्रता-प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, तो वह केवल उन्हीं मदों के लिए मांग कर सकता है जो निर्यातित उत्पाद के सामने के कालम 4 में संकेतित है । यदि निर्यात उत्पाद के लिए कालम 4 में कोई मद नहीं है तो निर्यात सदन को उसको सहयोग देने वाले विनिर्माता के वैध तथा समाप्त नहीं हुए उस लाइसेंस में आए हुए मदों के आयात की स्वीकृति दी जा सकती है जो लाइसेंस निर्यातित उत्पाद के रूप में उसी अन्तिम उत्पाद के लिए जारी किया गया था । निर्यात सदनों को इस प्रकार की मदों की स्वीकृति देते समय खंड 2 के कालम 5 में संकेतित प्रतिबन्ध / शर्तें किसी आयात मदों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे ।"

अनुबंध

1973–74 के लिए रेड बुक (वा० –II) के खंड–1 के भाग "सी" की कंडिका 9 में सूचीबद्ध 1972–73 के दौरान निर्यात किए गए उत्पादों का विवरण ।

निर्यात सदन का नाम:—

उत्पाद वर्ग	मद का ब्योरा	रेड बुक वा० –II के खंड II के कालम 2 के अनुसार मद की क्रम सं०	विनिर्माणकर्ता का नाम तथा पता	कालम 4 में उल्लिखित विनिर्माणक कं० के साथ संबंध अर्थात् क्या वे आप की शाखाएं, सहायक कम्पनियां आदि है अथवा अलग कानूनी अस्तित्व वाली है	वह देश जिसे निर्यात किया गया है	निर्यातों का जहाज पर निःशुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिए गए ब्योरे तथा विवरण जहां तक मेरी /हमारी जानकारी है, सत्य हैं और इन में कुछ भी छिपाया नहीं गया है । हमें यह ज्ञात है कि यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो बिना पक्षपात के इस संबंध में हमारे विपरीत किसी भी की गई कार्रवाई मे हमारे दावे रद्द हो जाएंगे ।

हस्ताक्षर ....

नाम (साफ अक्षरों में)

पद ....

पता ....

....

सनदी लेखा पाल/विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाण पत्र—

हम..........................(सनदी लेखा पाल/विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी का नाम तथा पता) एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम ने सर्वश्री................की पुस्तकों/दस्तावजों में निर्यात के उपर्युक्त ब्योरों की जांच कर ली है उन्हें सही पाया है।

सनदी लेखा पाल/विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर..........................

कार्यालय मुहर..........................

पूरा पता..........................

पंजीकरण सं० (सनदी लेखा पाल के मामले में)

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973